न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. शंकर लाल माली पुत्र मोडाराम माली, जाति-माली, मुकाम पोस्ट- कानपुरा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली
(खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्यसमाज रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही

2. प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री माधोबिहारी श्रीवास्तव, 16/234, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर-16, जोधपुर
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी, निर्माता फर्म)

फर्म:- जालोर-सिरोही जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमि., रानीवाडा, जिला-जालोर

3. जालोर-सिरोही जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमि., रानीवाडा, जिला-जालोर जरिये नॉमिनी प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री मोधोबिहारी श्रीवास्तव, 16/234, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर-16, जोधपुर

प्रकरण संख्या: 35/2016

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

-: निर्णय :- **दिनांक 25 सितम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 28.1.2015 को समय 6.00 पी.एम. पर फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्यसमाज रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति शंकर लाल माली पुत्र मोडाराम माली, जाति- माली, निवासी- कानपुरा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली है एवं उक्त फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्यसमाज रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के अमानक शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के 20 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 मि.ली.) फ्रिज में बिक्री हेतु रखे हुए थे, उसमें से खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के 4

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(सिरोही (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 मि.ली.) लिये एवं कीमत 92/- रुपये अदा किये एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए व खरीद बिल मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहों एवं खाद्य कारोबारकर्ता को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की शीशीयां दिखाई, खरीद शुदा Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के पैक्ड पाउचेज को अलग-अलग चारों शीशीयों में भरा एवं चारों पाउचेज को अलग अलग चारों शीशीयों के साथ लगाकर टेप से चिपकाया एवं चारों शीशीयों में फार्मेलीन की 4-4 बूदें डाली तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-345, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् प्रत्येक शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-345 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता शंकर लाल माली ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुच कर फ़ार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा, उपर नीचे, आजू, बाजू सील चपडी किया तथा फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफो को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.1.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 29.1.2015 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का नमूना संख्या S-345 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट संलग्न है। प्रकरण के

....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

अनुसंधान कार्य में समय लगने के कारण प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने की समयावधि एक वर्ष की सीमा से अधिक हो जाने के कारण प्रकरण को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान को भिजवाते हुए समस्त तथ्यों से अवगत कराया गया एवं जनहित में समयावधि विस्तारित किये जाने की अनुशंषा की, प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में 31.8.2016 तक समयावधि विस्तारित करते हुए प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ वास्ते अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन कर एवं अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ता शंकर लाल माली पुत्र मोडाराम माली, जाति- माली, निवासी- कानपुरा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली, फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज, जिला- सिरोही को अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) विक्रय करने एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 (शंकर लाल माली) को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ कि शंकर लाल माली पुत्र मोडा राम माली, जाति- माली, निवासी- कानपुरा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली नाम का व्यक्ति ग्राम कानपुरा, जिला- पाली में नही रहता है, उसके बाद प्रतिवादी शंकर लाल माली के नाम से पुनः नोटिस जारी कर ग्राम- चान्दाना, जिला- सिरोही का पता अंकित करते हुए पुनः भिजवाया गया है लेकिन नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 (शंकर लाल माली) को नोटिस जारी कर प्रतिवादी शंकर लाल माली को नोटिस की तामिल करवाने हेतु नोटिस श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी भिजवाये गये, लेकिन नोटिस तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही

....पेज चार पर

सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

हुये। प्रकरण में प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड, शिवगंज के पते पर नोटिस जारी कर भिजवाया गया। जिस पर प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज के मालिक सोनाराम पुत्र सवाजी, जाति- माली, निवासी- चान्दाना, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर के मालिक सोनाराम की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 ने इस न्यायालय में दिनांक 21.10.2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 (शंकर लाल माली) को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रतिवादी संख्या-1 का सही वर्तमान पता इस न्यायालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में दिनांक 25.2.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अभियुक्त शंकरलाल को सम्मन नोटिस तामील कराने के क्रम में, मैं स्वयं शिवगंज स्थित फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज भवन, शिवगंज गया, लेकिन फर्म पर उपस्थित एफबीओ ने न तो स्वयं सम्मन नोटिस लिया एवं न ही इसके संबंध में कोई जानकारी प्रदान की, जिसके कारण नोटिस तामील नही हो पाया। जबकि मेरे द्वारा दिनांक 28.1.2015 को नमूनीकरण की कार्यवाही सम्पादित करते समय अभियुक्त शंकरलाल ने उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मण राम के समक्ष स्वयं को खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म का मालिक बताया था। मेरे द्वारा उक्त नमूना लेने की कार्यवाही मौके पर गवाहों के समक्ष सम्पादित की गई। प्रकरण के अभियुक्त शंकर लाल की जानकारी प्राप्त नही हो रही है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त ने छद्म नाम से अपना नाम शंकरलाल बताया है, इसलिये फर्म को दोषी मानते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित करावे व प्रकरण का निस्तारण करावे।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08.9.2020 को आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर के मालिक सोनाराम के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा उपस्थित हुये। बहस हेतु नियत तिथि पर प्रतिवादी संख्या-2 उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति उपस्थित हुआ। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर के मालिक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का निर्माण व विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज के मालिक सोनाराम के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने प्रकरण में फर्म

....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज को पक्षकार बनाते हुए उसका मालिक शंकरलाल पुत्र मोडाराम माली, निवासी- कानपुरा होना बताया है, जबकि आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज का मालिक सोनाराम पुत्र सवाजी, जाति- माली, निवासी- चान्दाना है तथा सोनाराम शंकरलाल नाम के व्यक्ति को न तो जानता है और न ही पहचानता है। आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज़ से अजनबी शंकरलाल नाम के व्यक्ति का कोई लेना देना नही है और न ही शंकरलाल आशापुरा प्रोविजन स्टोर का मालिक या कारोबारकर्ता रहा है और न ही सोनाराम ने कभी भी शंकरलाल नाम के व्यक्ति को अपनी दुकान पर नौकर या नियोजन में रखा है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे शंकरलाल आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज का मालिक होना साबित हो। प्रार्थी ने सोनाराम की फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़ शिवगंज से कभी भी जांच हेतु Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के पैक्ड़ पाउच नही खरीदे है तथा न ही जांच हेतु नमूना लिया है। शंकरलाल कौन व्यक्ति है तथा कहां क्या व्यवसाय करता है, इसकी जानकारी प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर के मालिक सोनाराम को नही है। प्रार्थी द्वारा ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे आशापुरा प्रोविजन स्टोर से Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के पाउच खरीदना साबित करता हो। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के नमूनीकरण की पूरी कार्यवाही दूषित है, इसलिये इस प्रकरण से आशापुरा प्रोविजन स्टोर को दोषमुक्त किया जावे। प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर के मालिक सोनाराम के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.1.2015 को फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज में गवाह श्री लक्ष्मणराम, ए.एनप.एम., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, सिरोही की उपस्थित में खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) को वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया गया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया है। यह कि दिनांक 28.1.2015 को फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज में उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं का नाम शंकर लाल माली पुत्र मोडा राम माली, जाति- माली, निवासी- कानपुरा होना बताते हुए स्वयं को फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज का मालिक होना बताया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 28.1.2015 को फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज में उपस्थित व्यक्ति ने जानबूझकर अपना नाम छद्म नाम शंकर लाल माली पुत्र मोडा राम माली, जाति- माली, निवासी- कानपुरा होना बताया है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का निर्माण एवं विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना आरोपित किया जावे।

....पेज़ छः पर

प्रा. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.1.2015 को 6.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड, शिवगंज, जिला-सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज में उपस्थित व्यक्ति ने उसका नाम शंकर लाल माली पुत्र मोडा राम माली, जाति-माली, निवासी- कानपुरा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली होना बताते हुए स्वयं को फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज का मालिक होना बताया। जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग के लिये विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना दुकान में उपस्थित व्यक्ति शंकर लाल माली को गवाह श्री लक्ष्मणराम, एन.एम.ए., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी। फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज में खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के 20 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 मि.ली.) फ्रिज में बिक्री हेतु रखे हुए थे, में से खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 मि.ली.) को नमूना जांच हेतु क्रय किया व उसकी कीमत राशि 92/- (अक्षरे रुपये बरानवे मात्र) विक्रेता शंकर लाल माली को अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता शंकर लाल माली व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाह को चार साफ सूखी एवं खाली शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के पैक्ड पाउचेज को खोलकर अलग-अलग चारों शीशीयों में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40-40 बूदे डाली तथा शीशीयों के ढ़क्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-345, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता शंकर लाल माली व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना शीशीयों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य

....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेंपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-345 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता शंकर लाल माली व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता शंकर लाल माली व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड, शिवगंज में उपस्थित व्यक्ति शंकर लाल माली (जिसने स्वयं को फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर का मालिक होना बताया) से खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.1.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द ल्फिाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 29.1.2015 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का नमूना संख्या S-345 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./74/Act/2015/74 दिनांक 06.2.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड, शिवगंज में दिनांक 28.1.2015 को उपस्थित व्यक्ति शंकर लाल माली (जिसने स्वयं को फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड, शिवगंज का मालिक होना बताया) से गवाह श्री लक्ष्मणराम, एन.एम.ए., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

....पेज आठ पर

सिरोही (राज.)

मुख्य. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) का नमूना संख्या S-345 अमानक स्तर का (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के 500 मि.ली. के 4 पैक्ड पाउच वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) की निर्माता फर्म जालोर-सिरोही जिला दूग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, रानीवाडा, जिला- जालोर है। इस प्रकार, अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Saras Gold) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु फर्म जालोर-सिरोही जिला दूग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, रानीवाडा, जिला- जालोर ही मुख्य रुप से दोषी व उत्तरदायी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी फर्म आशापुरा प्रोविजन स्टोर, आर्य समाज रोड़, शिवगंज, जिला- सिरोही को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत जालोर-सिरोही जिला दूग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, रानीवाडा, जिला- जालोर पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। जालोर-सिरोही जिला दूग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, रानीवाडा, जिला- जालोर के प्रबन्धक संचालक को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

25/09/2020

(गितेश श्री मालवीया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

सिरोही (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested